तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दस्तावेज प्रदर्श P-1 आवंटन पत्रावली, प्रदर्श P-2 मिलान खसरा नकल, प्रदर्श P-3 अनुमिलान खसरा नकल प्रदर्श P-4 सम्वत 2070 गिरदावरी, प्रदर्श P-5 सम्पूर्ण मिलान खसरा नकल प्रदर्श करवाये जाये। वादीगण अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। वादीगण के हस्ताक्षर आदेशिका मे करवाये गये। पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 25-06-2024 को पेश हो।
25-06-24	पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस समाप्त पत्रावली की गयी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। तहसीलदार इन्द्रगढ़ की रिपोर्ट मे जाहिर किया गया है कि आवंटी वारिसान वर्तमान मे आवंटित भूमि ख.सं. 466, 455, 507 वाके ग्राम नौताडा पर निरन्तर कब्जा है ख.सं. 465 रकबा 0.03है. पर कब्जा नहीं है। वादीगण का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तदानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड
दावा संख्या 50/2021
दायरा दिनांक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

दावा संख्या 50/2021
दायरा दिनांक 02.07.2021

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

1. मोडूलाल आ0 स्व0 रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
1/1 राममूर्तिबाई स्व0 मोडूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
1/2 श्रवण कुमार स्व0 मोडूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
1/3 कश्मीरबाई पुत्री स्व0 मोडूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
1/4 लोकेन्द्र पुत्र स्व0 मोडूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
2. रामस्वरूप आ0 स्व रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

–प्रतिवादी

वाद – खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,188 आ0टी0एक्ट
वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 जा0दी0

अधिवक्ताः– 1. श्री अब्दुल सत्तार (अधिवक्ता वादीगण)
2. प्रतिवादी जर्ये सरकार पेरोकर

निर्णय दिनांकः–25.06.2024

वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण 1/1 लगायात 1/4 के दादा व वादी सं 2 के पिता रामचन्द्र आ0 मांगीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम नौताड़ा को भूमि खसरा संख्या पुरानी 209 रकबा 12बिस्वा, खसरा संख्या 243 रकबा 3बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 245 रकबा 5बीघा 1बिस्वा, खसरा संख्या 216 रकबा 12बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 9बीघा 14बिस्वा दिनांक 17.06.1978 को आवंटन की गई थी उक्त भूमि ग्राम नौताडा पटवारी हल्का नौताड़ा भूमि अभलेख निरीक्षक घाट का बराना में विस्थित है मूल आवंटी के वादीगण वारिसान है इनके अतिरिक्त पत्नी भूरीबाई व पुत्री रामकन्या भी वारिसान है चूंकी वादीगण मीणा जाति के है जिन पर पुराना हिन्दू उत्तराधिकार लागू होता है इस कारण महिला वारिसान को पैतृक सम्पत्ति में हक प्राप्त नहीं है। सेटलमेंट के पश्चात् खसरा संख्या 455 रकबा 0.49है0, 507 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

.82है0, 465 रकबा 0.9है0, 466 रकबा 0.9है0 नये बने है जिन पर वादीगण 45 वर्षो से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है उक्त भूमि की आरक्षित मूल्य 3880/– रुपये निर्धारित किया गया था जो जमा करवा दिया गया है उक्त भूमि के संबंध में अब राज्य सरकार का कोई शेष नहीं है। वादीगण निरन्तर वाद विषयक कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहे है जिससे होने वाली आय से अपने परिवार का जीवनयापन कर रहे है वादीगण कब्जा मुखपालना के आधार पर वाद विषयक भूमि राजस्व रिकार्ड में बतौर आवंटि एवं कब्जेदार की हैसियत से नाम अंकित करवाना चाहते है।-प्रतिवादी को इस बाबत् मौखिक व लिखित में निवेदन किया है कि आवंटन व कब्जेशुदा के आधार पर वादीगण उपरोक्त वर्णित आराजी के स्वामी हो चुके है तथा वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे तक प्रतिवादी द्वारा वादीगण का नाम जमीन के रिकार्ड में अंकित करने से इनकार कर दिया और जबरन ताकत के बल पर कब्जा हटाने की धमकी दी। प्रतिवादी उक्त भूमि पर अवैधानिक रूप से हटाकर कृषिभूमि विहीन कर बेरोजगार करना चाहते है जिसका कोई विधिक अधिकार प्रतिवादी को नहीं है। यही वाद का कारण है। अन्त में वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वादीगण को वाद विषयक अराजी पर कब्जा मुखपालना एवं मृतक रामचन्द्र के नाम आवंटन के आधार पर बतौर खातेदार कृषक अंकित किया जावें तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार इन्द्रगढ़ से वाद वर्णित कृषि भूमि के संबंध में जवाब तलब किया गया। तहसीलदार इन्द्रगढ़ ने पत्रांक 375 दिनांक 23.05.2024 से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार ग्राम नौताडा की उक्त वाद विषयक आराजी भूमि आवंटन परार्मशदात्री समिति द्वारा दिनांक 17.06.1976 को मृतक रामचन्द्र आ0 मांगीलाल जाति मीना को आवंटित की गई थी। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के उक्त खसरा नम्बरान के सेटलमेन्ट के पश्चात नवीन खसरा संख्या 209 का 465 रकबा 0.09है, 217 का 466 रकबा 0.09है0, 243 का 455 रकबा 0.49है0 व 245 का खसरा सं 507 रकबा 0.82है0 बन गये है। उक्त नवीन खसरा संख्यान 465,466,243,455 मुताबि राजस्व रिकार्ड में सिलिंग सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। आवंटी रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल की फौत हो चुकी है मजमें आम में उक्त वारिसान की ज़ानकारी करने पर बताया कि आवंटी के विधिक वारिसान में दो पुत्र मोडुलाल व रामस्वरूप तथा एक पुत्री रामकन्या व पत्नी भूरी बाई थी। उक्त वारिसान में भी मोडूलाल व भूरी बाई की फौत हो चुकी है। मोडुलाल के विधिक वारिसान लोकेन्द्र, श्रवण कुमार पुत्र एवं मीरबाई पुत्री तथा राममूर्ति बाई पत्नी है जिसका सजरा निम्न है–

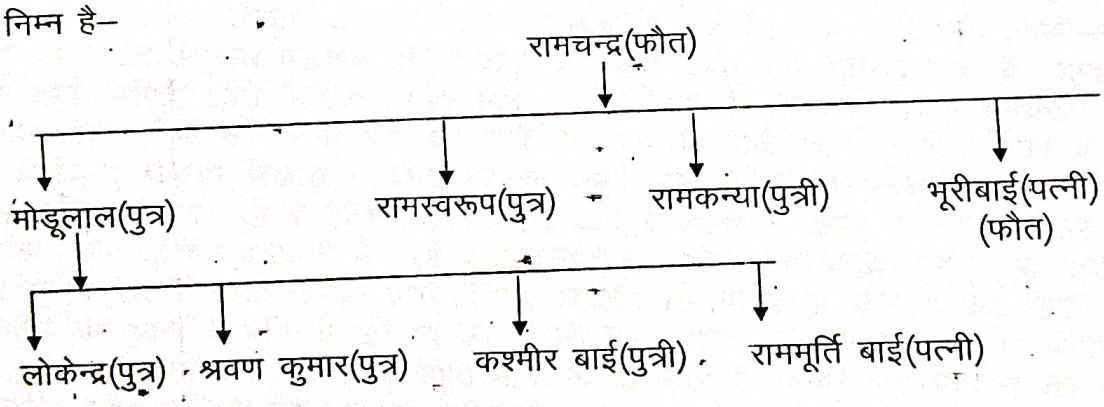

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

आवंटी खसरा नवीन खसरा संख्या 465 रकबा 0.09है0, खसरा संख्या 466 रकबा 0.09है0, खसरा संख्या 455 रकबा 0.49है0, खसरा संख्या 507 रकबा 0.82है भूमि में से 466 ,455 ,507 खसरा संख्या पर आवंटी व आवंटी के वारिसान का निरन्तर कब्जा काश्त होना अवगत करवाया गया है आराजी खसरा संख्या 465 रकबा 0.09है0 भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं था वर्तमान में आवंटी के वारिसान का कब्जा नहीं है बल्कि मौक पर आबादी बसी हुई है। उक्त भूमि में से 466,455,507 भूमि कमाण्ड क्षेत्र में आती है। उक्त भूमि पर कोई भी न्यायालय का स्थगन नहीं है। पत्रावली में साक्ष्यवादी करवाये गये। वादी रामस्वरूप आ0 स्व0 रामचन्द्र, लोकेन्द्र आ0 मोडूलाल के साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुए। वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श पी–1 आवंटन पत्रावली की सत्यापित प्रति, प्रदर्श पी–2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श पी–3 अन्य मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श पी–4 सम्वत् 2070 गिरदावरी, प्रदर्श पी–5 सम्पूर्ण मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श करवाये। पत्रावली पर वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस समाहत पत्रावली की गयी।

हमने विद्वान वादी अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि परामर्श दात्री समिति द्वारा दिनांक 17.06.1976 को मृतक रामचन्द्र आ0 मांगीलाल जाति मीना को कृषि भूमि खसरा संख्या 209 रकबा 1बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 243 रकबा 3बीघा 4बिस्वा, खसरा संख्या 245 रकबा 5बीघा 6बिस्वा कुल किता 3 रकबा 9बीघा 14बिस्वा आवंटित की गई थी। जो मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त खसरा नम्बरान के सैटलमेन्ट के पश्चात् नवीन 209 का 465 रकबा 0.09है, 217 का 466 रकबा 0.09है0, 243 का 455 रकबा 0.49है0 व 245 का खसरा सं 507 रकबा 0.82है0 बन गये है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उक्त कृषि भूमि में से खसरा संख्या 466, 455 व 507 पर ही आवंटी व आवंटी के वारिसान का कब्जा है। 465 रकबा 0.09है0 भूमि पर आवंटी वारिसान का कब्जा न होकर वर्तमान में आबादी बसी हुई है। गिरदावरी सम्वत् 2070, 2071, 2072, 2073 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि खसरा संख्या 455 रकबा 0.49है0, खसरा संख्या 507 रकबा 0.82है0 पर में खरीफ व रबी की फसल बोयी गयी है जो आवंटी के वर्तमान में कब्जा होना प्रदर्शित करती है। वादीगण का 465 रकबा 0.09है0 पर वर्तमान में कब्जा नहीं है। वादीगण का आवंटी कुल खसरान में से खसरा संख्या 455 रकबा 0.49है0, खसरा संख्या 507 रकबा 0.82है0, 466 रकबा 0.09है0 पर ही कब्जा काश्त कर रहे है जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार सिलिंग सिवायचक दर्ज है। उक्त कृषि भूमि तहसीलदार इन्द्रगढ़ की रिपोट अनुसार कमाण्ड क्षेत्र में आती है। चूकि उक्त कृषि भूमि आराजी का आवंटन परामर्श दात्री समिति द्वारा दिनांक 17.06.1976 को वादीगण के वारिसान मृतक रामचन्द्र आ0 मांगीलाल जाति मीना को किया गया था जिस पर निरन्तर वादीगण के वारिसान का कब्जा काश्त है किन्तु राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है। उक्त कृषिभूमि पर वादीगण निरन्तर कृषि कार्य कर रहे है जिससे होने वाली आय से वादीगण अपने व अपने परिवार का जीवनयापन कर रहे है। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे पूर्व में परामर्श दात्री समिति द्वारा दिनांक 17.06.1976 को मृतक रामचन्द्र आ0 मांगीलाल जाति मीना को आवंटित भूमि के आवंटन को निरस्त किया गया हो प्रदर्शित करता हो वादीगण आवंटी मृतक रामचन्द्र आ0 मांगीलाल जाति मीना के वारिसान है। हमारे मत वादीगण का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

अतः वादीगण का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। कृषि भूमि खसरा संख्या 455 रकबा 0.49है0, खसरा संख्या 507 रकबा 0.82है0, 466 रकबा 0.09है0 वाके ग्राम नौताड़ा पटवार मण्डल नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ पर वादीगण का नाम आवंटी मृतक रामचन्द्र आ0 मांगीलाल जाति मीना के सजरे अनुसार हिस्सा राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार अंकित किया जावे। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आवंटी कृषि भूमि में आवंटन शर्तो अनुसार यदि वादीगण से कोई राशि राजकोष में जमा कराना से शेष है तो राजकोष में जमा करवायी जाने के पश्चात् वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में निमयतः अमल दरामद करावें। तदानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शूमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर दिनांक 25–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

अंतिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....
लाखेरी..... व इजलास.....श्री कैलाश चन्द गुर्जर(आर0ए0एस).....

1. मोडूलाल आ0 स्व0 रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।
1/1 राममूर्तिबाई स्व0 मोडूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान। वगै0

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

दावा बाबत 88,188
आदेश 7 नियम1 जा0दी आर0टी0एक्ट
सन् .....

मुकदमा नम्बर 50/दावा/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ..... हमारे.....व हाजिरी .....वादीं अधिवक्ता श्री अब्दुल सत्तार.....मिनजानिब मुद्दई रूबरू...सरकार पैरोकार... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है कि –.

वादीगण का वांद आंशिक स्वीकार किया जाता है। कृषि भूमि खसरा संख्या 455 रकबा 0.49है0, खसरा संख्या 507 रकबा 0.82है0, 466 रकबा 0.09है0 वाके ग्राम नौताड़ा पटवार मण्डल नौताड़ा तहसील इन्द्रगढ़ पर वादीगण का नाम आवंटी मृतक रामचन्द्र आ0 मांगीलाल जाति मीना के सजरे अनुसार हिस्सा राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार अंकित किया जावे। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आवंटी कृषि भूमि में आवंटन शर्तो अनुसार यदि वादीगण से कोई राशि राजकोष में जमा कराना से शेष है तो राजकोष में जमा करवायी जाने के पश्चात् वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में नियमतः अमल दरामद करावें।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....
.....खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह .....
..फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 06 सन् 2024 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मैजान			मैजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।